

**Conduct of Election Rules, 1961**  
**(Statutory Rules and Order)**  
**FORM 21C**

(See rule 64)

*(For use in General Election when seat is contested)*

**Declaration of the result of Election under section 66 of the**  
**Representation of the People Act, 1951.**

---

Election to the Legislative Assembly of Rajasthan State from Kaman 070  
(General) Assembly constituency.

---

In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that—

**Smt. Zahida Khan, VPO- Garh Ajan, Tehsil – Kaman, Bharatpur**  
sponsored by **Indian National Congress** has been duly elected to fill the seat in that House from the above constituency.

**Place : M.S.J. College, Bharatpur**

**Date : 11-12-2018**



(Suresh Kumar Yadav)

Returning Officer

Sub Divisional Officer and Sub Divisional Magistrate

070 Kaman Assembly Constituency

(उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट कार्यालय)

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961  
(कानूनी नियम और आदेश)

प्ररूप 21 ग  
(नियम 64 देखें)

(साधारण निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब सीट निर्विरोध ना हो)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन परिणाम की घोषणा

---

कामां 070 (सामान्य) विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से राजस्थान राज्य के विधानसभा का निर्वाचन


---

निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 66 में शामिल उपबंधों के अनुसरण में मैं घोषणा करता हूँ कि -

श्रीमती जाहिदा खान, ग्राम व पोस्ट-गढ अजान, तहसील-कामां, भरतपुर  
इंडियन नेशनल काँग्रेस द्वारा प्रयोजित को उपर्युक्त निर्वाचन क्षेत्र से उस सदन की सीट को भरे जाने हेतु विधिवत् निर्वाचित किया गया है।

स्थान : एम.एस.जे. कॉलेज भरतपुर

तारीख : 11-12-2018

  
(सुरेश कुमार यादव)  
रिटर्निंग अधिकारी  
उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट  
070 कामां विधानसभा क्षेत्र  
(उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट कामां)